

अराजकीय संस्कृत शिक्षण संस्थाओं की प्रस्वीकृति

प्रतिनिधि सं० आई/व 9/76-2291-प्रि० दिनांक 18 अक्टूबर, 1976

(बिहार गजट का पुरक दिनांक 16 फरवरी, 1977)

विषय :—अराजकीय संस्कृत शिक्षण संस्थाओं की प्रस्वीकृति की शर्तें (पढ़ा गया संकल्प संख्या आई/ज 2-01/74-प्रि०-903, दिनांक 27 नवम्बर, 1975 का विन्दु 9)।

संस्कृत विद्यालयों की स्वीकृति की शर्तें निर्धारित नहीं रहने के कारण विद्यालयों की स्थापना सुनियोजित रूप से नहीं हो रही है। विद्यालयों में भूमि, भवन, शिक्षण उपस्कर आदि की अपेक्षित संख्या निर्धारित नहीं रहने के कारण ऐसे विद्यालय भी सम्बद्धता प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं, जो वस्तुतः संगठित एवं विकासशील नहीं हैं। प्रकटतः शिक्षण के स्तर एवं विद्यालय की प्रबन्ध व्यवस्था पर इसका प्रतिकूल असर पड़ा है।

उपयुक्त स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर विभिन्न कोटि के अराजकीय संस्कृत शिक्षण संस्थाओं की प्रस्वीकृति प्रदान करने हेतु निर्मांकित शर्तें निर्धारित की हैं :—

संस्कृत विद्यालय के लिए प्रस्वीकृति के नियम

1. प्राथमिक संस्कृत विद्यालय (प्रथम वर्ग से षष्ठ वर्ग तक)

प्रतिबन्ध संख्या (1)—विद्यालय भवन तथा भूमि—

(क) ग्रामीण क्षेत्र के लिए कम-से-कम दो कट्ठा और शहरी क्षेत्र के लिए एक कट्ठा भूमि विद्यालय के नाम से निबन्धित होनी चाहिए।

(ख) विद्यालय को कम-से-कम दो प्रकोष्ठों का भवन होना चाहिए।

प्रतिबन्ध संख्या (2)—विद्यालय के पास कुर्सी, टेबुल आदि आवश्यक उपकरण होना अनिवार्य है।

प्रतिबन्ध संख्या (3)—(क) विद्यालय में कम-से-कम दो शिक्षक होंगे जिनमें एक प्रधानाध्यापक एवं एक सहायक अध्यापक होंगे। प्रधानाध्यापक के लिए न्यूनतम योग्यता, आयुर्वेद विज्ञान छोड़कर संस्कृत विषय में किसी एक शास्त्र में शास्त्री की होनी और सहायक अध्यापक की योग्यता आधुनिक विषयों के साथ मध्यमा या तत्समकक्ष परीक्षा होनी।

(ख) विद्यालय में छात्रों के न्यूनतम संख्या तीस होगी। छात्र संख्या में वृद्धि होने पर आवश्यकतानुसार शिक्षकों की संख्या बढ़ायी जा सकती है। उक्त योग्यता के शिक्षकों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान उन्हें दिया जाएगा।

2. मध्य संस्कृत विद्यालय (सप्तम-अष्टम वर्ग)

प्रतिबन्ध संख्या (1)—विद्यालय भवन और भूमि—

(क) ग्रामीण क्षेत्र में कम-से-कम पाँच कट्ठा और शहरी क्षेत्र में दो कट्ठा भूमि विद्यालय के नाम से निबन्धित होनी चाहिए।

(ख) विद्यालय को कम-से-कम चार प्रकोष्ठों का भवन होना चाहिए।

प्रतिबन्ध संख्या (2)—आवश्यकतानुसार कुर्सी, टेबुल, बेंच आदि उपकरण का होना अनिवार्य है।

प्रतिबन्ध संख्या (3)—(क) विद्यालय में कम-से-कम चार शिक्षक होंगे जिनमें संस्कृत विषय के एक शास्त्री परीक्षोत्तीर्ण प्रधानाध्यापक होंगे और शेष तीन सहायक अध्यापक होंगे। एक आदेशपाल होगा।

तीन सहायक शिक्षकों में एक उच्चतर माध्यमिक या तत्समकक्ष योग्यता का शिक्षक होगा। शेष दो शिक्षक आधुनिक विषय के साथ मध्यमा परीक्षोत्तीर्ण होंगे जिनमें एक गणित विषय लेकर मध्यमा या तत्समकक्ष परीक्षोत्तीर्ण होगा।

(ख) विद्यालय में छात्रों की न्यूनतम संख्या चालीस होगी। छात्र संख्या में वृद्धि होने पर आवश्यकतानुसार शिक्षकों की संख्या बढ़ायी जा सकती है।

इस विद्यालय में प्रथमा वर्ग के अतिरिक्त प्रथम और षष्ठ वर्ग की भी पढ़ाई होगी। उक्त योग्यता के शिक्षकों और आदेशपाल के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान उन्हें दिया जाएगा।

3. साध्यमिक संस्कृत विद्यालय (नवम-दशम वर्ग)

प्रतिबन्ध संख्या (1)—विद्यालय भूमि एवं भवन—

(क) ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय भवन, खेल-कूद आदि के लिए कम-से-कम एक बीघा भूमि तथा शहरी क्षेत्र में दस कट्ठा भूमि विद्यालय के नाम निबन्धित होनी चाहिए, जहाँ विद्यालय भवन अवस्थित होगा।

(ख) विद्यालय को कम-से-कम छः प्रकोष्ठों का ईंट का बना भवन होना चाहिए।

प्रकोष्ठों का आकार निर्मांकित होगा :—

(1) 14 X 10 का प्रकोष्ठ—दो

कार्यालय एवं पुस्तकालय के लिए।

(2) 18 X 12 का प्रकोष्ठ—चार
वर्ग कार्य के लिए।

(ग) कार्यालय, पुस्तकालय और वर्ग कार्य के लिए वांछित उपस्करों का होना आवश्यक है।

प्रतिबन्ध संख्या (2)—विद्यालय को एक पुस्तकालय होना अनिवार्य होगा। पुस्तकालय में कम-से-कम एक हजार रुपये की पुस्तकें होंगी जिनमें पाठ्यग्रंथ और छात्रोपयोगी पुस्तक आवश्यक होंगी।

प्रतिबन्ध संख्या (3)—आकस्मिक आवश्यकता के लिए प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय प्रबन्ध समिति के संयुक्त नाम से सार्वजनिक खाते में कम-से-कम एक हजार रुपये बैंक में जमा रहेंगे।

प्रतिबन्ध संख्या (4)—(क) नये विद्यालयों को प्रस्वीकृति की यह एक आवश्यक बात होगी कि विद्यालय प्रबन्ध समिति के पास रकम संप्रमाण हो जिससे विना राजकीय अनुदान के भी कम-से-कम तीन वर्षों तक विद्यालय को चलाया जा सके। तीन वर्षों की छान संख्या, परीक्षाफल और संचालन की प्रगति देखकर ही राजकीय अनुदान देने पर विचार किया जाएगा।

(ख) विद्यालय प्रबन्ध समिति में कम-से-कम एक सरकारी पदाधिकारी का होना आवश्यक होगा और प्रत्येक तीन वर्ष पर प्रबन्ध समिति का पुनः संगठन हुआ करेगा।

(ग) विद्यालय को प्रस्वीकृति दिए जाने के पूर्व अध्यापकों की अस्थायी नियुक्ति के लिए विद्यालय प्रबन्ध समिति के द्वारा संगठित एक उप समिति होगी जिसमें विहार संस्कृत शिक्षा परिषद्/कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा प्रतिनियोजित एक विशेषज्ञ रहेगा।

प्रतिबन्ध संख्या (5)—स्थायी नियुक्तियों के लिए योग्यता, वेतनमान, पद आदि के विवरण के साथ राज्य के किसी प्रसिद्ध समाचारपत्र में विज्ञापन देना आवश्यक होगा। प्राथमिकता के क्रम में तीन नाम नियुक्ति सम्बन्धी प्रस्ताव के साथ प्रबन्ध समिति, विहार संस्कृत शिक्षा परिषद्/कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पास भेजेगी। वहाँ से अनुमान के बाद ही नियुक्ति पत्रकी समझी जाएगी। प्रस्ताव के साथ प्राप्त आवेदन पत्र, विज्ञापन की कटिंग, प्रार्थियों की योग्यता, विवरणों भी भेजना आवश्यक होगा।

प्रतिबन्ध संख्या (6)—शहरी क्षेत्र एवं घनी आबादी के ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर पाँच मील के भीतर दो माध्यमिक संस्कृत विद्यालय की प्रस्वीकृति नहीं दी जाएगी।

प्रतिबन्ध संख्या (7)—विद्यालय में पढ़नेवाले छात्रों की न्यूनतम संख्या साठ होगी और उपस्थिति सत्तर प्रतिशत आवश्यक होगी।

प्रतिबन्ध संख्या (8)—विद्यालय में वर्ग कार्य एवं पाठ्य विषयों का ध्यान में रखते हुए प्रधानाध्यापक को छोड़कर सामान्यतः शिक्षकों का संख्या छः होगी। प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की योग्यता निर्धारित होगी।

(क) प्रधानाध्यापक—इस पद के लिए प्रार्थियों को संस्कृत विद्यालय में पढ़ाये जानेवाले संस्कृत विषयों में से (आयुर्वेद को छोड़कर) किसी एक विषय में आचार्य परीक्षा में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होना तथा किसी माध्यमिक स्तर के विद्यालय में कम-से-कम पाँच वर्षों का शैक्षणिक अनुभव होना आवश्यक होगा। शिक्षण एवं प्रशासन सम्बन्धी विशेषानुभव प्राप्त विद्वानों के लिए विशेष विचार किया जा सकता है।

(ख) सहायक शिक्षक—संस्कृत विषयों को ध्यान में रखते हुए आचार्य परीक्षोत्तीर्ण अनुभवशील शिक्षकों की संख्या तीन होगी।

(ग) आधुनिक विषयों को ध्यान में रखते हुए अनुभवशील स्नातक शिक्षकों की संख्या तीन होगी।

(घ) शिक्षकेतर कर्मचारी—विद्यालय में एक लिपिक होगा जो आधुनिक विषयों के साथ मध्यमा या तत्समकक्ष परीक्षोत्तीर्ण होगा।

(ङ) आदेशपाल (साक्षर)—एक।

इन विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति वेतनमान दिया जाएगा।

अभ्युक्ति—नये विद्यालयों को प्रस्वीकृति दी जाने का यह तात्पर्य कदापि नहीं होगा कि उन्हें सरकारी अनुदान प्राप्त हो जाय। विद्यालय की संतोषजनक प्रगति देखने के बाद इस बात की चेष्टा की जाएगी कि उन्हें अनुदान प्राप्त हो किन्तु यह राज्य की वित्तीय स्थिति पर ही सम्भव होगा।

4. उच्चतर माध्यमिक संस्कृत विद्यालय (एकावश एवं द्वावश वर्ग)
प्रतिबन्ध संख्या (1)—विद्यालय भवन और भूमि—

(क) देहाती क्षेत्र में विद्यालय भवन, खेल-कूद आदि के लिए कम-से-कम एक एकड़ एवं शहरी क्षेत्र में कम-से-कम दस कठ्ठा भूमि विद्यालय के नाम सम्बन्धित होना चाहिए जहाँ विद्यालय अवस्थित होगा।

(ख) विद्यालय को कम-से-कम सात प्रकोष्ठों का अपना ईंट का भवन होना चाहिए। प्रकोष्ठों का आकार निर्धारित होगा :—

1. 14 X 10 का दो प्रकोष्ठ (कार्यालय एवं पुस्तकालय के लिए)

2. 18 X 12 का चार प्रकोष्ठ (वर्ग कार्य के लिए)

(ग) कार्यालय, पुस्तकालय और वर्ग कार्य के लिए बाँछित उपकरण का होना आवश्यक है।

प्रतिबन्ध संख्या (2)—पुस्तकालय में कम-से-कम पन्द्रह सौ रुपये की पुस्तकें चाहिए जिनमें पाठ्यक्रम और छात्रोपयोगी पुस्तकें अवश्य रहें।

प्रतिबन्ध संख्या (3)—आकस्मिक आवश्यकता के लिए प्रधानाचार्य और विद्यालय के सचिव के संयुक्त नामों से सार्वजनिक खाते में कम-से-कम दो हजार रुपये होने चाहिए।

प्रतिबन्ध संख्या (4)—(क) नये प्रस्वीकृत होनेवाले विद्यालय को चलाने के लिए प्रबन्ध समिति के पास इतनी रकम संप्रमाण होगी चाहिए जिससे विना राजकीय अनुदान के भी कम-से-कम तीन वर्षों तक विद्यालय को चलाया जा सके। तीन वर्षों के छान संख्या, परीक्षाफल और संचालन की प्रगति देखकर ही राजकीय अनुदान देने पर विचार किया जाएगा। माध्यमिक संस्कृत विद्यालय से उच्चतर संस्कृत माध्यमिक विद्यालय में प्रोन्नत होनेवाले विद्यालयों के लिए यह नियम लागू नहीं होगा।

(ख) विद्यालय प्रबन्ध समिति में कम-से-कम एक सरकारी पदाधिकारी का होना आवश्यक होगा।

(ग) नए विद्यालय को प्रस्वीकृति दी जाने के पूर्व, अध्यापकों की अस्थायी नियुक्ति के लिए विद्यालय प्रबन्ध समिति के द्वारा संगठित एक उप समिति होगी जिसमें विहार संस्कृत शिक्षा परिषद्/कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा प्रतिनियोजित एक विशेषज्ञ रहेगा।

प्रतिबन्ध संख्या (5) — शिक्षकों की स्थायी नियुक्तियों के लिए योग्यता, वेतनमान, पद आदि के विवरण के साथ राज्य के किसी प्रसिद्ध समाचार-पत्र में लिखकर देना आवश्यक होगा। प्राथमिकता के क्रम से तीन नाम नियुक्ति सम्बन्धी प्रस्ताव के साथ प्रबन्ध समिति, विहार संस्कृत शिक्षा परिषद्/कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पास भेजेंगे। वहाँ से अनुमोदन के बाद ही नियुक्ति पत्रकी समझौता जाएगी। प्रस्ताव के साथ प्राप्त आवेदन-पत्र, विज्ञापन कटिंग, प्राध्यापकों योग्यता विवरण भी भेजना आवश्यक होगा।

प्रतिबन्ध संख्या (6) — गृहरी क्षेत्र एवं नई आबादी के ग्रामोण क्षेत्र को छोड़कर पाँच मील के भीतर दो उच्चतर माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों को प्रस्वीकृति नहीं दी जाएगी।

प्रतिबन्ध संख्या (7) — विद्यालय में पढ़नेवालों छात्रों की न्यूनतम संख्या साठ होगी और उपस्थिति सत्तर प्रतिशत आवश्यक होगी।

प्रतिबन्ध संख्या (8) — विद्यालय में वर्ग कार्य एवं पाठ्य विषयों को ध्यान में रखते हुए प्रधानाचार्य सहित शिक्षकों की कुल संख्या आठ (आठ) होगी।

(क) प्रधानाचार्य को विद्यालय में पढ़ाए जानेवाले संस्कृत विषयों में आयुर्वेद को छोड़कर किसी एक विषय में आचार्य परीक्षा में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होना तथा किसी माध्यमिक स्तर के विद्यालय में कम-से-कम सात वर्षों का शैक्षणिक अनुभव होना आवश्यक होगा। शिक्षण एवं प्रशासन सम्बन्धी विशेषानुभव प्राप्त विद्वानों के लिए विशेष विचार किया जा सकता है।

(ख) सहायक शिक्षक — संस्कृत के विषय को ध्यान में रखते हुए अनुभवी स्नातक शिक्षक होंगे और एक अनुभवी एम० ए० उत्तीर्ण शिक्षक होगा।

शिक्षकेतर कर्मचारी —

(ग) त्रिपिक-सह-टंकक — (आधुनिक विषयों के साथ मध्यमा या तत्समकक्ष परीक्षोत्तीर्ण)।

(घ) आदेशपाल (साक्षर)।

(ङ) राति प्रहरी (साक्षर)।

इस स्तर के विद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारियों को राज्य-सरकार के द्वारा निर्धारित वेतनमान दिया जाएगा।

अभ्युक्ति — नए विद्यालयों को प्रस्वीकृति दी जाने का यह तत्पर्य कदापि नहीं होगा कि उन्हें सरकारी अनुदान प्राप्त हो ही जाए। विद्यालय की संतोषजनक प्रगति देखने के बाद ही इस बात को चेष्टा की जाएगी कि उन्हें अनुदान हो कि न हो राज्य की वित्तीय स्थिति पर ही निर्भर करेगा।

माध्यमिक स्तर के पूर्व-प्रस्वीकृत जो संस्कृत विद्यालय उच्चतर माध्यमिक संस्कृत विद्यालय में प्रोत्त किए जाएँ वे अपेक्षित राजकीय अनुदान के अधिकारी होंगे।

5. संस्कृत महाविद्यालय-शास्त्री (तीन वर्ष)

प्रतिबन्ध संख्या (1) — महाविद्यालय भवन और भूमि —

(क) ग्रामोण क्षेत्र में कम-से-कम दो एकड़ भूमि (दो प्लॉट में) तथा गृहरी क्षेत्र में एक एकड़ भूमि महाविद्यालय के नाम निधिगत होनी चाहिए जहाँ महाविद्यालय अवस्थित होगा।

(ख) महाविद्यालय को आठ प्रकोष्ठों का पक्का भवन होना आवश्यक होगा।

प्रतिबन्ध संख्या (2) — महाविद्यालय के कोष में कम-से-कम सात हजार रुपये संचित रहे।

प्रतिबन्ध संख्या (3) — महाविद्यालय के पुस्तकालय में कम-से-कम दो हजार रुपये की पुस्तक अनिवार्य रूप से हों जिनमें पाठ्यग्रन्थ और छात्रोपयोगी पुस्तकें अवश्य रहें।

प्रतिबन्ध संख्या (4) — प्रस्वीकृति के पूर्व महाविद्यालय का निरीक्षण शुल्क चार सौ रुपये होगा।

प्रतिबन्ध संख्या (5) — सम्बद्धता शुल्क दो हजार रुपये होगा।

प्रतिबन्ध संख्या (6) — महाविद्यालय में प्रधानाचार्य सहित दस शिक्षक होंगे।

(क) प्रधानाचार्य 1 — महाविद्यालय में पढ़ाये जानेवाले संस्कृत में से किसी एक विषय में उच्च द्वितीय श्रेणी में आचार्य परीक्षोत्तीर्ण। कम-से-कम उच्चतर माध्यमिक स्तर तक संस्कृत शिक्षण का दस वर्षों का अनुभव अथवा कम-से-कम किसी स्वीकृत उच्चतर माध्यमिक संस्कृत विद्यालय में पाँच वर्षों का प्रशासनिक अनुभव होना आवश्यक है।

(ख) प्राध्यापक — महाविद्यालय में पढ़ाए जानेवाले संस्कृत विषयों में कम-से-कम उच्च द्वितीय श्रेणी में आचार्य परीक्षोत्तीर्ण साहित्य के दो, व्याकरण के दो और शास्त्र व्यवस्थानुसार दो। कुल छः संस्कृत के प्रभारी होंगे।

(ग) अंग्रेजी, हिन्दी और संस्कृत के एक-एक एम० ए० तथा आधुनिक विषयों के व्यवस्थानुसार एक एम० ए० (न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण) कुल चार प्राध्यापक आधुनिक विषयों के होंगे।

शिक्षकेतर कर्मचारी—

(क) लिपिक—1. (आधुनिक विषयों के साथ मध्यमा या तत्समकक्ष परीक्षोत्तीर्ण)

(ख) टंकक—1. (आधुनिक विषयों के साथ मध्यमा या तत्समकक्ष परी-क्षात्तीर्ण)

(ग) आदेशपाल—1. साक्षर ।

(घ) रात्रि प्रहरी—1. (साक्षर) ।

भूमि और कोष को छोड़कर अन्य सभी प्रतिबन्ध पूर्व प्रस्वीकृत महाविद्यालयों के लिए भी अनिवार्य होंगे ।

प्रतिबन्ध संख्या (7) — छात्रों की न्यूनतम संख्या साठ होंगी ।

टिप्पणी—(1) उपर्युक्त शर्तों को पूर्ति के साथ निम्नलिखित सूचना भेजना आवश्यक है :—

(क) महाविद्यालय के नाम निर्वाचित भूमि के कानूनात्मक अधिकारियों की प्रतिनिधिति ।

(ख) कोष, संस्था तथा जिस बैंक या डाकघर में राशि संचित हो उसका पूर्ण विवरण पत्राचार के पत्र के साथ ।

(ग) पुस्तक-सूची (मूल्य के साथ)

(घ) भवन का नक्शा एवं विवरण ।

(2) निरीक्षण शुल्क, सम्बद्धता शुल्क :—

मान्यता की कार्यवाही के पहले विश्वविद्यालय के कोष में जमा करना होगा ।

(3) सम्बद्धता शुल्क की अनुमति के उपरान्त निदेशानुसार तथा समक्ष विश्वविद्यालय कोष में जमा करना होगा ।

अराजकीय मदरसों के वर्गीकरण, उनकी प्रस्वीकृति की शर्तें और उनमें शिक्षण एवं शिक्षणोत्तर स्टाफ का निर्धारण

सं० आर्डी/अ-11-08/78—1090

शिक्षा विभाग

संजय

29 नवम्बर, 1980

टिप्पणी—अराजकीय मदरसों के वर्गीकरण, उनकी प्रस्वीकृति की शर्तें और